2. श्री नरेश कुमार खटोड़ — अप्रार्थी संख्या 15
3. राजस्थान सरकार तहसीलदार पीलीबंगा — अप्रार्थी संख्या 14

—:: निर्णय ::—

दिनांक :— 06/03/2026

प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ से बाद रिमाण्ड होकर प्राप्त हुआ है जिसमें पूर्व में पारित निर्णय आपारत कर पुनः सुनवाई कर 60 दिवस में निर्णय पारित करने हेतु निर्देशित कर प्रतिप्रेषित किया गया है। प्रार्थना पत्र 251—क राजस्व काश्ताकरी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया है निर्णय से पूर्व प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त रूप से निम्न प्रकार से है

प्रार्थी के नाम से एकल स्वामित्व की खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक 41 एनडीआर के खाता सं. 75 के प.नं. 78/344 के किला नं. 1 ता 4, 7 की कुल 1.265 हैक. कमाण्ड अ.क. मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2075—78 दर्ज राजस्व रिकार्ड है। यह कि अप्रार्थी सं. 1 के नाम से एकल स्वामित्व की खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक 41 एनडीआर के खाता सं. 74 के प.नं. 78/344 के किला नं. 11 ता 13, 14/1 कुल 0.885 हैक., मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2075—78 दर्ज राजस्व रिकार्ड है।
यह कि अप्रार्थी सं. 2 के नाम से एकल स्वामित्व की खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक 41 एनडीआर के खाता सं. 5 के प.नं. 78/344 के किला नं. 8 ता 10, 14/2 कुल 0.886 हैक. मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2075—78 दर्ज राजस्व रिकार्ड है

यह कि अप्रार्थी सं. 3 ता 13 के नाम से संयुक्त खाता की खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक 41 एनडीआर के खाता सं. 19 के प.नं. 78/344, 78/345 की कुल 5.972 हैक. कमाण्ड अ.क. मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2075—78 दर्ज राजस्व रिकार्ड है प्रमाणित प्रति जमाबन्दी मय नक्शा संलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि अप्रार्थी सं. 3 ता 13 की कृषि भूमि के प.नं. 78/344 के किला नं. 21 ता 24 प्रत्येक मे 0.025—0.025 हैक. बैजानिव दक्षिणी दिशा पूर्व से पश्चिमी लम्बा रास्ता राजस्व अभिलेख मे स्वीकृत शुदा एवं मौका पर चल रहा है। प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1—2 की कृषि भूमि को कोई स्वीकृत रास्ता न होने के कारण से अप्रार्थी सं. 3 ता 13 के पूर्वज द्वारा प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1—2 के पिता को किला नं. 17, 24 मे 2—2 बिस्वा घरेलू रास्ता दिया गया और रास्ता के एवज मे किमत प्राप्त कर ली थी, इसके पश्चात प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1—2 के मध्य हुए घरा घरू बंटवारा मे प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि आवगमन करने के लिए किला नं. 14 मे 2 बिस्वा रास्ता दिया गया और प्रार्थी लगातार अपनी कृषि भूमि मे अप्रार्थीगण की कृषि भूमि के किला नं. 14, 17, 24 के पूर्वी दिशा मे घरेलू रास्ता से आवगमन करता आ रहा है तथा कृषि औजार एवं संयत्र उक्त रास्ता से आवगमन करता है और वर्तमान मे भी उक्त घरेलू रास्ता मौका पर चालू है। प्रार्थी की कृषि भूमि को उक्त घरेलू रास्ता के अलावा अन्य कोई नजदीक एवं सरल रास्ता उपलब्ध नही है। जैसा कि उक्त रास्ता काफी समय से चला आ रहा है और रास्ता के एवज मे अप्रार्थी सं. 3 ता 13 के पूर्वज द्वारा राशि भी प्राप्त कर ली गई थी । प्रार्थी के पिता बीरबल को कानूनी ज्ञान न होने के कारण राजस्व अभिलेख मे उक्त रास्ता का इन्द्राज नही करवाया गया, इसी का नाजायज फायदा अप्रार्थीगण अब उठाने पर आमादा है और उक्त घरेलू रास्ता को बन्द करना चाहते है तथा प्रार्थी के आवगमन मे हर प्रकार से बाधा उत्पन्न करना चाहते है इसलिए उक्त तत्कालिक परिस्थतियों को देखते हुए चक 41 एनडीआर के प.नं. 78/344 के किला नं. 14, 17, 24 प्रत्येक किला मे 2—2 बिस्वा रास्ता बैजानिव पूर्वी दिशा राजस्व अभिलेख मे स्वीकृत किया जावे।

यह कि अप्रार्थी सं. 14 भूधारक होने के कारण आवश्यक पक्षकार एवं उनकी अहम जबावदेही है।अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण की कृषि भूमि चक 41 एनडीआर के प.नं. 78/344 के किला नं. 14, 17, 24 प्रत्येक किला मे 2—2 बिस्वा रास्ता बैजानिव पूर्वी दिशा रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान करे।

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

दिनांक 30.06.25 को प्रार्थना पत्र मे बाद सुनवाई तहसीलदार रिपोर्ट एवं अप्रार्थीगण के जवाब तलब कर बाद मौका निरीक्षण पटवारी एवं भू अभिलेख निरीक्षक की उपस्थिति में किया गया। चक 41 एन डी आर के प.न. 78/344 किला न 24 मे अप्रार्थी का सींव पर ढाणी होने के कारण किला न. 20,21 पक्का खाला के लगते हुए उत्तर–दक्षिण 2 बीघा लम्बा व 1 बिस्वा पूर्व से पश्चिम रास्ता राजस्व काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क के तहत स्वीकृत किया गया था जिसमे दिनांक 17.07.2025 को बाद संशोधन रास्ता को प्रार्थी के रकबा हेतु किला न. 11 को जोड़ते हुए संशोधित आदेश पारित किया गया है।

प्रकरण रिमाण्ड होकर प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थीगण 1 ता 13 को को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रकरण मे दिनांक 24.12.25 को प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी राजीव पुत्र दलीप कुमार द्वारा प्रस्तुत किया गया जिसपर अधिवक्ता अप्रार्थी/प्रार्थी द्वारा अनापत्ति जाहिर की गई प्रार्थना पत्र मे वर्णित प्रश्नगत चक 41 एनडीआर प.न. 78/344 के किला न. 8 ता 10, 14/2 कुल .886 है. रकबा प्रार्थी द्वारा बाद डिक्री दिनांक 08.10.24 प्रार्थी को बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है जिसमें प्रार्थी द्वारा अहम पक्षकार होने के कारण प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या 2 का नाम विलोपित करते हुए अप्रार्थी संख्या 15 के रूप मे पक्षकार संयोजित किया गया है।

अप्रार्थी संख्या 15 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया निम्न प्रकार से हैं –यह कि उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान् जी के न्यायालय में आज की तारीख पेशी में वास्ते जवाब दावा मय बहस मुकर्रर है। क्योंकि उक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थी कृष्णलाल के रकबा में आने–जाने के लिये कोई भी रास्ता नही होने के कारण वाके चक 41 एनडीआर में प.नं. 78/344 के किला नं. 11, 20 व 21 में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 30.06.2025 को रास्ता 2 बीघा 1 बिस्वा चौड़ा उत्तर से दक्षिण 2 बीघा लम्बा और पूर्व से पश्चिम 1 बिस्वा चौड़ा रास्ता स्वीकृत कर निर्णय व डिक्री फरमाया गया जिसकी अपील अप्रार्थीगण दयाराम वगैरा द्वारा की गई।

यह कि अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर माननीय न्यायालय को प्रेषित की जा चुकी है। इसी प.नं. 78/344 के किला नं. 10 तथा अपने अन्य रकबा में स्वीकृतशुदा रास्ता के सामान्तर में प्रार्थी को भी रास्ते की आवश्यकता है। रास्ता की राशि खजाना राज में जमा करवाई जा चुकी है। विस्तृत विवेचन के बाद माननीय न्यायालय द्वारा किला नं. 11,20 व 21 का रास्ता स्वीकृत फरमाया गया है। जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अंकन हो चुका है।

प्रार्थी के किला नं. 10 में इसी रास्ता के समानान्तर रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में बिना किसी भूमि व बिना किसी दर के स्वीकृत करवाना चाहता है। स्वीकृतशुदा रास्ता इस प.नं. के अन्य काश्तकारों के लिये भी अतिआवश्यक रास्ता है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन हैं कि वाके चक 41 एनडीआर के प. नं. 78/344 के किला नं. 10 में बिना प्रतिफल के व किला नं. 11, 20 व 21 सहप्रतिफल डीएलसी की दोगुणा राशि लेते हुये पक्का खाला के लगते हुये उत्तर से दक्षिण 4 बीघा तथा पूर्व से पश्चिम 1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करवाया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करने का आदेश फरमाया जावें।

अप्रार्थीगण संख्या 1 व 3 जो कि अपीलीार्थी है स्वयम् हाजिर आये जिन्हें सुनवाई हेतु अवसर प्रदान किया गया जो कि आगामी पेशी पर अनैक अवसर देने पर भी हाजिर नहीं आने पर एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लायी गई है। अप्रार्थी संख्या 4 ता 13 बाद तामिल नोटिस हाजिर नहीं होने पर एक पक्षिय कार्यवाही जारी की गई है।

प्रकरण में बहस अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गई बहस में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र एवं पूर्व निर्णय के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि पूर्व आदेशों की पालना में किला न 11,20,21 में स्वीकृत रास्ता की एवज में डीएलसी की दोगुना राशि जमा करवायी जा चुकि है अप्रार्थीगण अपीलार्थी वर्तमान में पुनः हाजिर होकर भी किसी प्रकार का उज्र एतराज एवं जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 15 द्वारा बहस में कथन किया गया कि पूर्व में स्वीकृत शुद्धा रास्ता किला न. 10 तक स्वीकृत किया जावे जिससे मुझ अप्रार्थी को

सहायक कलक्टर एव

रास्ता की सुविधा हो सके जिस हेतु अप्रार्थी संख्या 15 द्वारा अपने हक हिस्सा की किला न. 10 तक स्वीकृत हेतु सहमती प्रकट की गई है।

बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी संख्या 15 द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र का गहन अध्ययन किया गया अप्रार्थी संख्या 15 द्वारा प्रश्नगत रकबा में पूर्व में स्वीकृत रास्ता आदेश बहाल कर किला न. 11,20,21 को किला न. 10 तक समानान्तर स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया गया है जिससे सावित होता है कि पूर्व में स्वीकृत रास्ता प्रार्थी के अतिरिक्त अन्य काश्तकारों को उपलब्ध होने के कारण अत्यांतिक रास्ता की श्रेणी में आता है जवकि अपीलार्थी/अप्रार्थी संख्या 1 व 3 के द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र रिमाण्ड होकर प्रस्तुत होने पर एक वार हाजिर होने के बाद किसी प्रकार का उज्र एतराज एवं जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है जिनके विरूद्ध वर्तमान में एक पक्षिय कार्यवाही जारी है। चाहा गया रास्ता केवल सुविधा जनक रास्ता नहीं है जबकि अन्य सांझा खाता के काश्तकारों हेतु भी रास्ता की लगता है इस लिए प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकृत कर चक 41 एनडीआर के प. नं. 78/344 के किला नं. 10 में प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 15 की सहमति होने के कारण बिना प्रतिफल/प्रतिकर के व किला नं. 11, 20 व 21 सहप्रतिफल डीएलसी की दोगुणा राशि लेते हुये खाला के चिपते हुये उत्तर से दक्षिण 4 बीघा तथा पूर्व से पश्चिम 1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक पूर्व आदेशो कि पालना में यदि किला न. 11, 20,21 हेतु यदि डिएलसी की राशि खजानाराज में जमा है तो उक्त वर्णित भूमि किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होनें, की दशा में आदेशों की पालाना में राजस्व रिकार्ड अमलदरामद करे।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो । आदेश को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में दिनांक 6/3/26 सुनाया गया।

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
उपखण्ड... सहायक कलेक्टर
पीलीबंगा।